



स्थल जांच के कम में श्री अर्जुन मोदी, श्री बच्चूदानन्द पाण्डेय, श्री मुरली मनोहर पाण्डेय, श्री अर्जुन पाण्डेय एवं श्री सुधीर पाण्डेय से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का दो लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिसका लगान रसीद कटवाने हेतु आवेदन दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी 11 का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर अंचल जमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं0 235 के अर्न्तगत प्लॉट नं0 6310, रकवा 0.885 ए0, प्लॉट नं0 5325 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5339 रकवा 0.20 ए0, प्लॉट नं0 6329 रकवा 0.51 ए0, प्लॉट नं0 5317/6311 रकवा 0.475 ए0, प्लॉट नं0 5318 रकवा 0.12 ए0, प्लॉट नं0 5363 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5366/5344 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5372 रकवा 0.14 ए0, प्लॉट नं0 5328 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5398 रकवा 0.02 ए0, प्लॉट नं0 5454 रकवा 0.66 ए0, प्लॉट नं0 5455 रकवा 1.13 ए0, प्लॉट नं0 5458 रकवा 0.125 ए0, प्लॉट नं0 5461 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5484 रकवा 0.69 ए0, प्लॉट नं0 5529 रकवा 0.24 ए0, प्लॉट नं0 6123 रकवा 0.532 ए0, प्लॉट नं0 4851 रकवा 0.16 ए0, प्लॉट नं0 5429 रकवा 0.24 ए0, कुल रकवा 6.63 ए0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 235, प्लॉट नं0 6310 वगैरह, रकवा 06.63 ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबन्दीधारक सरयु नारायण पाण्डेय, झु0 ति0 के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।




अंचल अधिकारी,
कोडरमा।